भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4129

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एसएएमएडीएचएएन (समाधान)

4129. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्युत संयंत्रों की संकटाधीन परिसंपत्तियों की बिक्री या अधिग्रहण के प्रस्ताव पर परिसंपत्ति प्रबंधन और ऋण परिवर्तन संरचना योजना (समाधान) लेकर आई है ताकि उनकी तरलता को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना को अंतिम रूप देने का कार्य एसबीआई को सौंपा गया है और यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने विद्युत संयंत्रों पर विचार किया गया था; और

(ङ) आज की तारीख के अनुसार उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : इस प्रकार की परिसंपत्तियों से वसूली प्रयासों को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक पारदर्शी मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया से विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के प्रयोजन से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन तथा ऋण परिवर्तन संरचना (समाधान) की एक योजना सुझाई गई है। इस योजना में प्रवर्तकों के सहयोग और सहमति से योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) : इस योजना के अंतर्गत, कुल 14 विद्युत संयंत्रों पर विचार किया गया था। इन लेखाओं में शुरू की गई/शुरू की जा रही समाधान प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	शुरू की गई/शुरू की जा रही समाधान प्रक्रिया	लेखाओं की संख्या
पहले से ही कार्यान्वित समाधान		
1.	प्रबंधन में परिवर्तन	1
प्रक्रियाधीन समाधान		
2.	विद्यमान प्रवर्तकों के साथ एकबारगी समझौता (ओटीएस)	3
3.	प्रबंधन का परिवर्तन	3

4.	उन्हीं प्रवर्तकों के अधीन पुनर्संरचना	3
5.	एनसीएलटी को संदर्भित/स्वीकार किए गए	4
	लेखाओं की कुल संख्या	14

******